राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 967/2014/जयपुर.
2. अपील संख्या – 968/2014/जयपुर.
3. अपील संख्या – 969/2014/जयपुर.
4. अपील संख्या – 970/2014/जयपुर.
5. अपील संख्या – 971/2014/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत–सी, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स सेबी कारपोरेशन,
जी–1, 137 सीतापुरा इण्ड. एरिया, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक
अनुपस्थित

.....विभाग की ओर से.

.....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15/09/2017

निर्णय

अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, तृतीय वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 28.11.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत–सी, जयपुर द्वारा पारित निम्न आदेशों को अपास्त कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	अपील संख्या	दिनांक	आदेश दिनांक
1	331	01.07.2011 से 30.09.2011	26.10.2012
2	332	01.10.2011 से .31.12.2011	26.10.2012
3	333	01.01.2011 से 31.03.2011	26.10.2012
4	334	01.01.2012 से 31.03.2012	26.10.2012
5	335	01.10.2010 से 31.12.2010	26.10.2012

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अवधियों में रिफण्ड हेतु प्रार्थना–पत्र वैट–21 प्रस्तुत किये गये थे जिसका ई–सत्यापन करने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट सत्यापित नहीं पाया गया। उस राशि को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कम किया जाकर रिफण्ड आदेश जारी किये गये, जिसे अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित किया गया था।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

उक्त समस्त प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारियों के रिफण्ड प्रार्थना पत्रों को आई.टी.सी की राशि जमा होने का सत्यापन नहीं होने के कारण खारिज किया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्रों को खारिज करने से पूर्व व्यवहारियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये जारी नोटिस तामिल नहीं होना प्रमाणित मानकर अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त प्रकरणों को वाणिज्यिक कर अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर प्रार्थना पत्रों को खारिज करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के आदेश दिये है उसमें कोई अविधिकता नहीं है क्योंकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के तहत किसी प्रार्थना पत्र को खारिज करने से पूर्व व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है।

फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलें अस्वीकार की जाती है एवं कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपील निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना कर पुनः आदेश पारित करें।

निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य